International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.131-135

वैश्विक युग में भारत में शिक्षा के अधिकार एवं बदलते प्रतिमानों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

योगिता रानी पंवार*

सार

शिक्षा मनुष्य के सम्यक् विकास के लिये उसके विभिन्न ज्ञान तंतुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा लोगों में आत्मसात करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने, दूसरों की सहायता करने और राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग देने की भावना का विकास होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को परिपक्व बनाना, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्विक विकास करना होता है। वर्तमान के इस वैश्विक युग में शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिक ना होकर सैद्धान्तिक होता जा रहा है, जिससे व्यावहारिक ज्ञान में कमी देखी जा रही है। वर्तमान शिक्षा भौतिक संसाधनों के लक्ष्य को आधार मानकर युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रही है। शिक्षा आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक ही पहुँच रही है। शिक्षा में गुणवता, चारित्रिक मूल्यों का अभाव होता जा रहा है। यह अक्षर एवं पुस्तक ज्ञान रटन विद्या का एक माध्यम बन कर रह गयी है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो, जिसके फलस्वरूप मानव, विद्यार्थीयों, युवावर्ग के विकास के साथ ही उसके आध्यात्मिक चारित्रक मूल्यों पर जोर दे, जिसका परिणाम यह हो कि हम अपने युवा पीढ़ी का देश, समाज के हित में उपयोग कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई है। प्रस्तुत प्रपत्र का प्रमुख उद्देश्य समाजशास्त्रीय आधार पर शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा प्रणाली, नीति अधिनियम को समझना है। इसका क्या प्रभाव, लाभ शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है, को समझना उसका सामाजिक विश्लेषण करना है। प्रस्तुत प्रपत्र द्वैतियक स्त्रोतों पर आधारित है।

कुन्जी शब्दः– *सम्यक् विकास, व्यवहारिक ज्ञान, भौतिक संसाधन, चारित्रिक मूल्य, रटन विद्या।*

प्रस्तावना

शिक्षा की प्रक्रिया युग सापेक्ष होती है। युग की गति और उसके नए–नए परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक युग में शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य के साथ ही उसका स्वरूप भी बदल जाता है। यह मानव इतिहास की सच्चाई है। मानव विकास के लिए खुलते नित नये आयाम शिक्षा, शिक्षाविदों के लिये चुनौती का कार्य करते है, जिसके अनुरूप ही शिक्षा की नयी परिवर्तित रूप रेखा की आवश्यकता होती है, का अर्थ है ऊपर उठाना, शिक्षित शिक्षा करना, पालन–पोषण करना, प्रशिक्षण देना, नैतिक उत्थान चारित्रिक, जीवन मूल्यों का विकास करना, पथ प्रदर्शन करना है। वर्तमान के इस पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण भौतिकवादी युग में समाज में कई बुराईयाँ जैसे– बेकारी, भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद ऐसी कई बुराईयाँ फैली हैं, वहाँ शिक्षा इस प्रकार की हों, कि वह इन समस्याओं का समाधान कर सके शिक्षा इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं, बेशर्त की शिक्षा प्रणाली उचित हो, जो शिक्षा समयानुसार परिवर्तित नहीं होती है वह अनुपयुक्त है। समाज राष्ट्र के विकास में शिक्षा की दोहरी भूमिका है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति के लिए तैयार करे शिक्षा वह है, जो हमें सीख देता है। महात्मा गाँधी के अनुसार– शिक्षा एक प्रक्रिया है। प्लेटो के अनुसार, "देह और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता का विकास हो सकता है, उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।

* व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, वैदिक बालिका पी.जी. महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।

एडीशन के अनुसारः– शिक्षा मनुष्य की आत्मा के लिए उसी भांति है, जिस प्रकार संगमरमर के एिल शिल्पकला।" अरस्तु ने शिक्षा मनुष्य पर शासन करने की कला का अध्ययन किया उन्हें यह विश्वास हो गया कि "युवकों की शिक्षा पर ही राज्य का भाग्य आधारित है।"

शिक्षा की आवश्यकता

मानव के सामाजिकरण, विकास की प्रथम सीढ़ी है इसके बिना सम्पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मानव अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिये ही शिक्षा की शरण में जाता है। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो मानव को सभी प्रकार के उचित निर्णय लेने में मदद करती है शिक्षा ही मानव के जीवन को सफल बनाने का एकमात्र अस्त्र है इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते है। शिक्षा से मानव का आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक विकास होता है। उचित निर्णय लेने में सहायक है।

शिक्षा का लक्ष्य

(1) तार्किक क्षमता को अधिकाधिक विकसित करना। (2) युवापीढ़ी का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना। (3) संस्कारों को विकसित करना। (4) संस्कृति में परिवर्तन करना। (5) युवापीढ़ी को यथार्थ कल्पना के बीच के अन्तर से परिचित कराया जाये। (6) आदर्श नागरिक का विकास किया जाये। (7) मूल्य शिक्षा प्रदान की जाये। (8) मूल्य शिक्षा द्वारा छात्र अपने धार्मिक सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वाह पूरा कर सकता है। (9) सामाजिक व्यवहारों का समझने के लिये मूल्यों का अध्ययन आवश्यक है। (10) मूल्य शिक्षा सामाजिक सम्बन्धों को सन्तुलित करने, सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता लाने में सहायक होती है।

नीतिशास्त्र की उक्ति हैः– "ज्ञानेन हीना पशुभि समाना।" अर्थात ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के तुल्य है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा या विद्या से होती है। दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। शिक्षा धातु से शिक्षा शब्द बना है जिसका अर्थ है, विद्या ग्रहण करना विद्या शब्द विद् धातु से बना है, जिसका अर्थ है, ज्ञान पाना ऋषियों की दृष्टि में विद्या वही है जो हमें अज्ञान के बर्धन से मुक्त कर दे– "सा विद्या या विमुक्तये" भगवान श्रीकृष्ण ने गीात में अध्यात्म विद्यनाम कहकर इसी सिद्धांत का समर्थन किया था।

शिक्षा का अधिकार

विश्व के अनुक देशों में शिक्षा का अधिकार विभिन्न प्रारूपों में क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार कोई नयी अवधारणा कानून नहीं यह लम्बे प्रयासों का प्रतिफल है, भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश कालीन विधानसभा (इपीरियल असेम्बली) में शिक्षा के अधिकार की बात कही थी। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्णरूप से राज्य का उत्तरदायित्व था परन्तु बाद में संविधान संशोधन कर शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया। केन्द्र सरकार ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया। 2009 में संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया गया अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में लागू किया गया शिक्षा के अधिकार के कानून का पूरा नाम "दि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009" है। दिसम्बर 2002 में 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग–3 (मूलभूत अधिकार) में एक नयी धारा जोड़ी गई 21–ए जोड़कर 6–14 की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही। संविधान के अनुच्छेद–45 में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का धारा–3 के अनुसार– 6 से 14 वर्ष तक सभी आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, धारा–6 में प्रावधान है कि 1 से 5 तक बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा को तथा 6 से 8 तक बच्चों के लिये 2 किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाये। यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर 3 वर्षों में विद्यालय खोलना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानुसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) को शैक्षणिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है, जिसका मुख्य कार्य प्रारम्भिक शिक्षा एवं इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है। अधिनियम की धारा 8 :– इसमें सभी वर्गों के बालकों के साथ व्यवहार सुविधाएँ उपलब्ध

करवाने बच्चों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाठ्यक्रमों का समयावधि में पूरा करवाने पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश उपस्थिति उसे पूरा करने पर बल दिया। धारा10– प्रत्येक माता–पिता संरक्षक के कर्त्तत्यों का उल्लेख किया है, बताया गया है कि वह अपने बच्चो ंको आस–पास के विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाएँ निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थान गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाये ऐसे बच्चों का फीस सरकार वहन करेगी। कोई भी निजी विद्यालय डोनेशन फीस नहीं लेगी प्रवेश के समय माता–पिता का साक्षात्कार नहीं लेगा अधिनियम धारा–20 – केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची को उसमें किसी मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन किया जा सकेगा इस अधिनियम के प्रावधानुसार एक विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन का उल्लेख है, जिसमें न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य माता–पिता या संरक्षकों के लिए निर्धारित किये गये हैं साथ ही दुर्बल वर्ग के माता–पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जायेगा इस समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा–21:– इसमें विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना एवं तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में अधिनियम के प्रारम्भ होने के छः माह के अन्दर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार एक विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा और प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा। यह समिति योजना, अनश्रवण, अन्य विनिश्चय सम्बन्धी मामलों के प्रयोजन के लिए विद्यालय प्रबन्धन की विकेन्द्रीकृत इकाई के रूप में कार्य करेगी यह समिति अपने कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति सहित प्रत्येक छः में बैठक करेगी विद्यालय प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अभिभावकों में से होगा एवं प्रधानाध्यापक समिति का सदस्य सचिव होगा। 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधियों सहित अभिभावक/संरक्षक होंगे, कार्यकारिणी समिति की बैठक इसके कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति सहित माह में एक बार होगी। कम से कम 3 माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी यह विद्यालय विकास योजना तीन वर्षों की योजना होगी जिसमेंतीन वार्षिक उपयोजनाएँ होगी विद्यालय की विकास योजना पर विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उस वित्तीय वर्ष जिसमें उसे तैयार किया गया है की समाप्ति से पहले जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यापकों के परिवेदना निस्तारण के लिये जिला स्तरीय परिवेदना समिति के गठन का प्रावधान है। **अधिनियम की धारा–29:–** इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ठ किये जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा शिक्षा प्राधिकारी नित बातों को ध्यान में रखेंगें :– (1) शारीरिक, मानसिक विकास, (2) शिक्षा का माध्यम (3) ज्ञान अन्तः शक्ति योग्यता का निर्माण (4) बालक का सर्वांगीण विकास।

अन्य प्रावधान

शिक्षा का अधिकार 2009 के प्रावधानुसार किसी भी शिक्षक को गैर–शैक्षणिक प्रयोजन (जनगणना आपदा राहत कार्य निर्वाचन) में नहीं लगाया जायेगा। शिक्षकों को ट्यूशन प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलापों में सम्मिलित होने पर प्रतिबन्ध है। विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40 प्रतिशत का होना चाहिए जिसे अधिनियम के लागू होने के छः माह के अन्दर बनाया जाना चाहिए इस अधिनियम के तहत विद्यालयों के लिए निर्धारित मान मानकों में कक्षा 1 से 5 तक साछ (60) तक प्रवेश होने पर दो शिक्षक 60 से 90 के बीच होने पर तीन शिक्षक 91 से 120 के बीच 4 शिक्षक 121 से 200 के बीच, पाँच शिक्षक 150 से अधिक बच्चों की संख्या होने पर 1 प्राधानाध्यापक व पाँच (5) शिक्षक तथा दो सौ (200) से अधिक बच्चों पर छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जाये। कक्षा 8 वीं तक कम से कम एक शिक्षक ऐसा होगा, जो विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा का होगा प्रत्येक 35 बच्चों के लिए न्यूनतम एक शिक्षक अनिवार्य है तथा 100 से अधिक बच्चों के लिए होने पर एक पूर्णकालिन प्रधानाध्यापक, कलाशिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा के लिए अंशकालीन शिक्षक होगा। शिक्षा का अधिकार 2009 में विद्यालय भवन के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम एक कक्ष, लड़कों–लड़कियों के लिए पृथक शौचालय सुरक्षित पेयजल,

खेल का मैदान, रसोई, विद्यालय भवन की सुरक्षा हेतु चार दीवारी होनी चाहिए। 1 से 5 तक के लिये 200 कार्य दिवस, 800 घण्टे प्रति शैक्षणिक वर्ष कक्षा 6 से 8 तक के लिये 220 कार्य दिवस 1000 घण्टे प्रति शैक्षणिक वर्ष निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम सीमा रखी गयी है, जो 45 शिक्षण घण्टें हैं, जिसमें अध्यापन के लिये तैयारी घण्टों को भी सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का प्रावधान है, जिसमें समाचार पत्र–पत्रिकाएँ सभी विषयों पर पुस्तकों की उपलब्धता अनिवार्य है।

इस अधिनियम में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्, राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है इस परिषद् में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देने के लिए सरकार 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद् गठन का प्रावधान है परिषद की अन्तिम बैठक आगामी बैठक में 3 माह से ज्यादा का अन्तराल नहीं होना चाहिए यदि किसी कारण से अध्यक्ष्ज्ञ बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में किसी सदस्य को बैठक के पीठासीन हेतु नामित कर सकते हैं। परिषद की बैठक गणपूर्ति न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों के उपस्थिति होने पर पूर्व माना जायेगा बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने परिवेदनाओं के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण को उत्तरदायी बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण उसको पूर्ण करने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।

वैश्विक युग में शिक्षा के बदलते प्रतिमान

वर्तमान शिक्षा प्रणाली आर्थिक रूपसे सक्ष व्यक्तियों तक ही पहुँच रखती है, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं उन तक शिक्षा कोसों दूर है। वर्तमान शिक्षा भौतिक संसाधनों के लक्ष्य को आधार मानकर युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रही है। वर्तमान में शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने नयी शिक्षा प्रणाली का विकास किया। सरकार द्वारा गठित समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा जारी किया यह 484 पृष्ठों का है। किन्तु शिक्षा नीति निर्माता यह कटू सत्य भूल जाते हैं कि जिस प्रकार भारत में समाज स्तरीकृत है उसी प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था भी स्तरीकृत है सामाजिक असमानता शिक्षा के लिए बड़ी बाधा है। प्रश्न यह है कि, क्या अति असमान सामाजिक, आर्थिक धरातल पर एक समान शिक्षा मिल सकेगी? क्या ऐसी संस्थात्मक बाधाओं पर नियंत्रण के उपाय ड्राफ्ट में स्कूली उच्च दोनों स्तरों पर शिक्षा में सुधार के सुझाते हैं। शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को नई दिशा देना होना चाहिए ड्राफ्ट में उल्लेख किया गया है कि स्कूल में सिखाने का पक्ष कमजोर है। ड्राफ्ट में शिाा के अधिकार के बाद भी अच्छे शिक्षक, शिक्षा, संरचनात्मक सुविधा का अभाव का उल्लेख है। शिक्षा नीति में साफ है 1 से 5 तक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तपर ट्यूटस कार्यक्रम कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त सुधारात्मक उपाय एनसीईआरटी द्वारा मोडूल उपलब्ध करवाना 30:1 विद्यार्थी–अध्यापक का अनुपात और नाश्ता, दोपहर में भोजन का प्रबन्ध जरूरी है इसमें 5334 के प्रारूप का उल्लेख है यह क्रम चार चरणों में (1) बुनियादी चरण, (2) प्रारम्भिक चरण, (3) मध्य चरण, (4) माध्यमिक चरण, आयु के अनुसार ये चरण 3–8, 8–11, 13–14, 14–18 वर्षों में विभाजित है। सवाल यह है कि क्या वर्तमान 102 की स्कीम से यह व्यवस्था अधिक लाभकारी है? इस तरह का वर्गीकरण पूर्व की भांति यांत्रिक दिखता है। ड्राफ्ट में वर्तमान की तरह ही तीन भाषाएँ सीखने की सिफारिश है। दक्षिण भारत में हिन्दी थोंपने के आरोप के बाद सरकार ने लचीला रूख अपनाया है। भाषा का प्रश्न जटिल संवेदनात्मक है। क्या इस पर स्पष्ट नीति बन सकती है? बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कहा गया है कि विद्यार्थी की आधारभूत समझ कौशल व्याख्यातमक क्षमता पर परीक्षाएँ हो। प्रवेश के लिए दो बार अवसर दिए जो सकते हैं। मोड्यूलर पद्धति के अन्तर्गत विद्यार्थी को कम से कम 24 विषय पढ़ने होंगे। पूरी प्रक्रिया सेमेस्टर सिस्टम द्वारा क्रियान्वित होगी। क्या सही अर्थों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो पायेगी? शिक्षा प्रबन्धन में लचीलापन होगा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा आयोग राज्य स्तर पर एक स्वतन्त्र राज्य स्कूल नियमांकन प्राधिकरण होंगें निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण कम होगा, निजी स्कूल "पब्लिक" शब्द का उपयोग नहीं करेगी। नियमन शिक्षा का प्रावधान, फंडिंग नियमांकन, शिक्षा के स्तर के कार्य एक ही संस्था द्वारा नहीं किये जायेंगे। वर्तमान यूजीसी का नया नाम उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एच.ई.जी.सी.) होगा इसका कार्य केवल अनुदान देना होगा। भारत की नई शिक्षा नीति दोषपूर्ण नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गलती यह है कि इसने दक्षिण में त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत

अंग्रेजी उनकी क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी का सुझाव दे दिया। किन्तु त्रिभाषा फॉर्मूला नया नहीं है दशकों से यह शिक्षा नीति के दस्तावेजों में मौजूद है, लेकिन इस अच्छी तरह लागू नहीं किया गया है। यदि इसे उचित तरीके से आकार दे, लोगों को इस आधार पर तीसरी भाषा चुनने का मौका दें कि उन्हें कौनसी भाषा मूल्यवान लगती है तो छात्रों के साथ देश को भी फायदा होगा।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का अभाव है, वर्तमान शिक्षा भौतिक संसाधनों के लक्ष्य को आधार मानकर युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रही है वर्तमान शिक्षा आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति तक ही कायम है, जो आर्थिक रूप से सक्षम बनी। उन तक शिक्षा कोसो दूर है। आज मानव को मशीन बनाने का प्रया किया जा रहा है इस शिक्षा प्रणाली ने भय असुरक्षा, हिंसा, अपराध, अशांति को समाज में उत्पन्न किया है। इन्टरनेट, कम्पयूटर के अधिकाधिक उपयोग ने विद्यार्थी एवं सूचना के अंतर को खत्म कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी पूरी तरह से कम्प्यूटर खोज पर निर्भर हो गया है। वर्तमान शिक्षा अपने मुख्य उद्देश्य से दूर होती जा रही है सामाजिकता अपने पतन की ओर अग्रसर है। शिक्षा का वर्तमान स्वरूप व्यवहारिक न होकर सैद्धान्तिक है। वर्तमान शिक्षा पर पश्चिमीकरण का बोलबाला है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली न आज की प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में निजी शिक्षा केन्द्रों को जन्म दिया है जिसके कारण आज शिक्षा एक क्रय–विक्रय पेशेवर शिक्षण संस्था के रूप में देखी जा सकती है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति राष्ट्र देश का सर्वांगीण विकास करता है। **दुरखीम** ने शिक्षा को सामाजिक एकीकरण का एक सशक्त साधन माना है। शिक्षा से प्रजातंत्र दृढ़ हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदला जा सकता है, बदला जाना चाहिए और बदली जाएगी भी किन्तु ऐसा करने से पहले हमें छात्र उसकी शिक्षा को पहले राजनीति को बाद में रखना चाहिये। यह तो स्पष्ट है कि केवल कानून बना देने से दशा, दिशा नहीं बदल जाती इसके लिए कानून को लागू करने में आ रही बाधाओं, समस्याओं का समाधान करना चाहिये। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक शैली का पूरा खाका तैयार कर उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। राज्य सरकार को उपलब्ध धन का सही दिशा में उपयोग कर अधिकतम निर्गत देना होगा तभी अधिनियम की मंशा के अनुसार निःशुल्क, अनिवार्थ शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा के.एल. दैनिक भास्कर पत्रिका 2 जुलाई 2019
- भगत चेतन दैनिक भास्कर पत्रिका 4 जुलाई 2019
- शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009
- मुदालियर कमीशन रिपोर्ट 1953 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली।
- रिपोर्ट ऑफ हंटर कमीशन– 1882
- द रिपोर्ट ऑफ लॉर्ड मैकॉलेज मिनट 1835
- चार्टर एक्ट ऑफ 1813
- शिक्षा बिना बोझ के राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993 मानव जनधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, भटनागर सुरेश (मेरठ 1979)
- आधुनिक भारतीय शिक्षा इतिहास और समस्याएँ, पाठक त्यागी (1976)
- भारतीय शिक्षा की सामाजिक समस्याएँ, चौधरी उपाध्याय (आगरा, 1969).

❖◆❖